N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0248 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 23/09/2025 18:41 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 26/08/2025 **Date To (दिनांक तक):** 19/09/2025

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 18:53 बजे **Time To (समय तक):** 17:20 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/09/2025 **Time (समय):** 16:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 23/09/2025 18:41:25 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 130 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** KARYALAY UPKHAND ADHIKARI, DEEG

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** HARIOM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** HARVEER

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1987 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	PANHORI, DEEG, SADAR DEEG, डीग, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	PANHORI, DEEG, SADAR DEEG, डीग, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DEVI SINGH		पिता:CHHINGARAM	1. WEIR,WEIR,BHARATPUR,RAJA
2	MUKESH KUMAR		पिता:ONKAR SINGH URF OMKAR	1. SINSINI,SADAR DEEG,डीग, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	80000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा	80,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 80,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर राज. विषयः- रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाने बाबत महोदय, निवेदन है कि मैं प्रार्थी हरिओम पुत्र हरवीर सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम पान्होरी जिला डीग का रहने वाला हॅू। मैंने एक जमीन आज से करीब तीन वर्ष पूर्व मेरे गांव के ही भागे पत्नि नत्थी, राजन पत्नि खेमचन्द जाटव से जरिये स्टाम्प पर मेरे मित्र गुलशन पुत्र मोहनलाल कोली निवासी डीग हाल गुलषन गेस्ट हाउस नगर रोड डीग के नाम से खरीदी थी। क्योंकि मेरे द्वारा खरीदी गई जमीन एससी की होने से मेरे नाम नही होने के कारण उक्त जमीन मैने मेरे मित्र गुलषन के नाम पर खरीदी थी। उक्त जमीन में हम दोनो साझीदार है। उक्त खसरा नम्बर 2262,2263 वाके ग्राम पान्होरी द्वितीय में स्थित है और जिसका विवाद एसडीएम कोर्ट डीग में रिसिवर कराने हेतु एक वर्ष से लम्बित है। उक्त जमीन के रिसिवर आदेष करवाने हेतु मैं एसडीएम देवीसिंह जिला डीग से मिला तो उन्होने मुझसे कहा कि मेरे रीडर मुकेश कुमार मिल लेना। इस पर मैं एसडीएम कार्यालय की तरफ गया तो मुझे रास्ते में ही मुकेश कुमार रीडर मिला, जिससे मैने मेरे उक्त कार्य के लिये वार्ता की तो उन्होने कहा कि मेरी एसडीएम साहब से वार्ता हो गयी है। मुकेश कुमार रीडर द्वारा रिसिवर आदेश करने के लिये मेरे से एक लाख पचास हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की। मैं एसडीएम देवीसिंह व उसके रीडर मुकेश कुमार को मेरे जायज काम के लिये रिश्वत राशि नही देना चाहता हॅू। बल्कि रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हॅू। मेरी इन दोनो से कोई पुरानी रंजिश व लेन देन बकाया नही है और नाही मैं किसी राजनीतिक दवाब व अन्य दवाब में यह कार्यवाही करवा रहा हॅू। रिपोर्ट पर कार्यवाही करने की कृपा करें। एस0डी0 प्रार्थी हरिओम पुत्र हरवीर सिंह जाति गुर्जर उम्र 38 साल निवासी ग्राम पान्होरी जिला डीग मोबाईल नम्ब[redacted] दिनांक 27.08.2025 एसडी स्वतंत्र गवाह श्री धीरज कनिष्ठ सहायक दिनांक 28.08.2025, एस.डी स्वतंत्र गवाह श्री सिकन्दर खान कनिष्ठ सहायक दिनांक 28.08.2025 एस. डी ज्ञान सिह चैधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनांक 28.08.2025 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 26.08.2025 समय 06.53 पी.एम पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञान सिंह चैधरी अतिरिक्त चार्ज धौलपुर द्वारा जरिये मोबाईल मन हैड कानि. श्रीकान्त 72 को अवगत कराया कि श्री हरिओम निवासी पान्होरी जिला डीग से एसडीएम डीग के रीडर मुकेश द्वारा उसकी जमीन के रिसीवर आदेश निकालने के लिये रिश्वत राशि की मांग की जा रही है। परिवादी हरिओम से जरिये हुई मोबाईल वार्ताअनुसार मामला रिश्वत मांग का है। जिसका गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। आप कल दिनांक 27.08.2025 को श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 को विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड के एसडीएम कार्यालय डीग रवाना करें। जहां पर परिवादी हरिओम मिलेगा। श्रीमान ने बताया कि मेरी ब्रहमदेव कानि. से भी इस सम्बन्ध में वार्ता हो चुकी है। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन हैड कानि. को निर्देश दिये कि श्री ब्रहमदेव कानि. को परिवादी हरिओम के पास जाने से पूर्व ब्यूरो चैकी के सरकारी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड को चैक कर तथा यह सुनिश्चित कर वाईस रिकॉर्डर व एसडी कार्ड में कोई पुरानी रिकॉर्डिंग नही हो तथा ब्रहमदेव कानि. को वाईस रिकॉर्डर चालू बन्द करने की समझाईस कर जरिये फर्द सुपुदर्गी वाईस रिकॉर्डर के सुपुर्द करें एवं उक्त कानि. को हिदायत करें कि रिश्वत मांग सत्यापन से पूर्व परिवादी से हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मय आधार कार्ड प्राप्त करें। कानि. ब्रहमदेव के बाद रिश्वत मांग सत्यापन के उपरान्त ब्यूरो चैकी धौलपुर आने पर वाईस रिकॉर्डर जरिये फर्द वापसी वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर विस्तृत हालात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करावें। इसके बाद दिनांकः-27.08.2025 /05.00 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्रीकान्त मुख्य आरक्षक सं. 36 द्वारा कार्यालय आलमारी मे विभागीय वाईस रिकार्डर निकालकर एसडी कार्ड सेनडिस्क 32 जीबी सहित श्री ब्रहमदेव कानि0 नं0 449 को चालू तथा बन्द करने का तरीका बताकर गवाह श्रीमति सुमन महिला कानि. 67 व श्री योगेश कानि0 88 के सामने जरिये फर्द सुपुर्द कर परिवादी हरिओम के पास गांव पान्होरी जिला डीग पर पहुंचकर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी हरिओम से सम्पर्क कर प्रार्थना पत्र मय आधार कार्ड प्राप्त कर परिवादी हरिओम को विभागीय वॉईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर परिवादी को आरोपी के पास भेजकर उसके द्वारा की जा रही रिश्वत की मांग के संबंध में गोपनीय सत्यापन करवाकर बाद सत्यापन विभागीय वॉईस रिकार्डर मय परिवादी के साथ कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर स्वंय की निजी मोटरसाईकिल मे रवाना किया गया। फर्द बाद हस्ताक्षर शामिल रनिंग नोट की गई थी। इसके बाद समय 03.00 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जरिये दूरभाष हैड कानि. 72 को अवगत करवाया कि श्री ब्रहमदेव कानि. से मेरी वार्ता हो गयी है। अतः

आप आज ही दिनांक 27.08.25 को कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड धौलपुर से दो स्वतंत्र गवाह पावन्द कराकर कल दिनांक 28.08.2025 को 10.00 ए.एम पर मय ट्रेप पार्टी मय ट्रेप सामग्री, फिनोफ्थलीन पाउडर, शीशीया, मैमोरी कार्ड, डीवीडी/पेनड्राईव इत्यादी उपकरणों के मय सरकारी वाहन मय चालक के सर्किट हाउस भरतपुर में उपस्थित आ जावें। श्री ब्रहमदेव कानि. मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में डले एसडी कार्ड मय परिवादी हरिओम के सर्किट हाउस पर ही उपस्थित मिला। इसके बाद समय 04.00 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह तलबी बाबत सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड धौलपुर के नाम तहरीर जारी कर श्री योगेश सिंह कानि. नं. 88 को दो स्वतन्त्र गवाह लेकर आने हेतु कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड धौलपुर तहरीर सहित रवाना किया गया था। इसके बाद 05.30 पी.एम पर श्री योगेश सिंह कानि. नं. 88 उपरोक्त फिकरा का रवानाषुदा सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड धौलपुर से दो गवाह साथ लेकर उपस्थित कार्यालय आया। दोनो गवाहान से उनके नाम पते पूछे तो उन्होने क्रमशः श्री सिकन्दर खान पुत्र श्री विपती खान उम्र 40 बर्ष निवासी धौबी पाडा थाना बसेडी जिला धौलपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिषाशी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड धौलपुर व श्री धीरज पुत्र श्री रामेश्वर उम्र 23 बर्ष निवासी वार्ड न0 26 बिरजापाडा पुराना शहर धौलपुर थाना बसेडी धौलपुर जिला धौलपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड धौलपुर होना बताया, जिनको गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु दिनांक 28.08.2025 को समय 06.00 पर ब्यूरो चौकी धौलपुर पर उपस्थित आने की हिदायत कर ब्यूरो चौकी से रूखसत किया था। इसके बाद दिनांक 28.08.25 समय 06.00 ए.एम पर पूर्व से पाबन्द शुदा श्री सिकन्दर खान पुत्र श्री विपती खान उम्र 40 बर्ष निवासी धौबी पाडा थाना बसेडी जिला धौलपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिषाशी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड धौलपुर व श्री धीरज पुत्र श्री रामेश्वर उम्र 23 बर्ष निवासी वार्ड न0 26 बिरजापाडा पुराना शहर धौलपुर थाना बसेडी धौलपुर जिला धौलपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिषाशी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड धौलपुर उपस्थित कार्यालय आये। जिन्हे कार्यालय में बिठाया जाकर समय 06.30 ए.एम पर निर्देशानुसार श्रीकान्त हैड कानि. 72 व श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71, श्री योगेश सिह कानि. 88, श्री मनोज कुमार कानि. 179, मय स्वतंत्र गवाहान श्री सिकन्दर खान कनिष्ठ सहायक, श्री धीरज कनिष्ठ महायक कार्यालय अधिषाशी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड धौलपुर, मय सरकारी वाहन चालक श्री शंकर लाल मीना मय टे्प बॉक्स विडियो कैमरा, लैपटॉप कम्प्यूटर, प्रिन्टर, की-बोर्ड, माउस इत्यादि के सर्किट हाउस भरतपुर के लिये रवाना हुये थे। इसके बाद समय 10.30 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिगर राजकार्य करता हुआ सर्किट हाउस भरतपुर पहुंचा जहां पर पूर्व से पाबन्द शुदा श्रीकान्त हैड कानि. 72 व श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71, श्री योगेश सिह कानि. 88, श्री मनोज कुमार कानि. 179, स्वतंत्र गवाहान श्री सिकन्दर खान कनिष्ठ सहायक, श्री धीरज कनिष्ठ महायक, श्री ब्रहमदेव कानि. मय सरकारी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड मय परिवादी से प्राप्त प्रार्थना पत्र मय परिवादी हरिओम मय सरकारी वाहन बोलरो मय ट्रेप बाक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर ईयर फोन आदि उपकरणों एवं उपस्थित मिले। जहां पर राजकार्य हेतु सर्किट हाउस भरतपुर कर्मचारी से रूम खुलवाया तो सर्किट हाउस के कर्मचारी ने कमरा नम्बर 110, 111 खोलकर दिया। जहां पर कमरा नम्बर 111 में ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान को बिठाया गया तथा कमरा नम्बर 110 में श्री ब्रहमदेव कानि. ने परिवादी द्वारा पेश हस्त लिखित प्रार्थना-पत्र मय अधिकृत प्रार्थना पत्र व सरकारी वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड जिसमें दिनांक 27.08.2025 को रिश्वत मांग की रिकार्डिंग मय परिवादी हरिओम को, मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी द्वारा हस्त लिखित प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया एवं परिवादी श्री हरिओम ने दरयाप्त पर बताया कि मैं ग्राम पान्होरी जिला डीग का रहने वाला हूँ। मैंने एक जमीन आज से करीब तीन वर्ष पूर्व मेरे गांव के ही भागे पत्नि नत्थी, राजन पत्नि खेमचन्द जाटव से जरिये स्टाम्प पर मेरे मित्र गुलशन पुत्र मोहनलाल कोली निवासी डीग हाल गुलशन गेस्ट हाउस नगर रोड डीग के नाम से खरीदी थी। क्योंकि मेरे द्वारा खरीदी गई जमीन एससी की होने से मेरे नाम नही होने के कारण उक्त जमीन मैने मेरे मित्र गुलशन के नाम पर खरीदी थी। उक्त जमीन में हम दोनो साझीदार है। उक्त खसरा नम्बर 2262, 2263 वाके ग्राम पान्होरी द्वितीय में स्थित है और जिसका विवाद एसडीएम कोर्ट डीग में रिसिवर कराने हेतु एक वर्ष से लम्बित है। उक्त जमीन के रिसिवर आदेश करवाने हेतु मैं एसडीएम देवीसिंह जिला डीग से मिला तो उन्होने मुझसे कहा कि मेरे रीडर मुकेश कुमार मिल लेना। इस पर मैं एसडीएम कार्यालय की तरफ गया तो मुझे रास्ते में ही मुकेश कुमार रीडर मिला, जिससे मैने मेरे उक्त कार्य के लिये वार्ता की तो उन्होने कहा कि मेरी एसडीएम साहब से वार्ता हो गयी है। मुकेश कुमार रीडर द्वारा रिसिवर आदेश करने के लिये मेरे से एक लाख पचास हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहे थे, इस पर मैंने एसीबी के टोल फ्री नम्बर 1064 पर कॉल किया। इसके बाद मेरी आपसे जरिये मोबाईल पर वार्ता अनुसार दिनांक 27.08.2024 को श्री ब्रहमदेव कानि. से जरिये मोबाईल वार्तानुसार ब्रहमदेव कानि. मुझे गुलशन गेस्ट हाउस के पास मिल गया था, जहां पर मैने ब्रहमदेव कानि. को एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र व श्री गुलशन द्वारा हस्तलिखित अधिकृत प्रार्थना पत्र पेश किया था। उक्त प्रार्थना पत्र के हालातो से श्री ब्रहमदेव कानि. ने आपको अवगत करवाकर आपके निर्देशानुसार मैं व श्री ब्रहमदेव कानि. रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु एसडीएम कार्यालय डीग के लिये रवाना हुये, जहां पर एसडीएम कार्यालय के पास सुनसान जगह पर श्री ब्रहमदेव कानि. ने अपना परिचय देकर वाईस रिकॉर्डर चालू कर मुझे दे दिया था, मैं वाईस रिकॉर्डर में डले एसडी कार्ड सहित एसडीएम

कार्यालय डीग के लिये रवाना हो गया। श्री ब्रहमदेव कानि. वही रूक गया था। मैं एसडीएम कार्यालय पहुंचा, जहां पर मुझे एसडीएम का रीडर मुकेश मिला मैने उससे मेरे काम के सम्बन्ध में बातचीत की तो कहा कि साहब ने डेढ की कही है, मैने कहा कि यार इतने नही कर सकता, तो मेरे निवेदन करने पर अस्सी हजार में सहमत हो गया। इसके बाद मैं वहां से रवाना होकर श्री ब्रहमदेव कानि. के पास पहुंचा, जहां पर ब्रहमदेव कानि. ने मुझसे वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रख लिया और आपको जरिये दूरभाष सम्पूर्ण हालातो से अवगत करवाया था। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री ब्रहमदेव कानि. से पूछने पर कानि. द्वारा परिवादी के कथनों की ताईद की। इसके पश्चात कमरा नम्बर 11 में बैठे स्वतंत्र गवाहान को तलब कर उनका नाम पता पूछा तो क्रमशः अपने नाम सिकन्दर खान पुत्र श्री विपती खान उम्र 40 बर्ष निवासी धौबी पाडा थाना बसेडी जिला धौलपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिषाशी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड धौलपुर व धीरज पुत्र श्री रामेश्वर उम्र 23 बर्ष निवासी वार्ड न0 26 बिरजापाडा पुराना शहर धौलपुर थाना बसेडी धौलपुर जिला धौलपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिषाशी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड धौलपुर होना बताया, जिनसे गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने बाबत सहमति प्राप्त की गई, तत्पश्चात दोनो गवाहो का उपस्थित परिवादी से एक दूसरे से परिचय करवाया गया तथा दोनो गवाहों को परिवादी हरिओम द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट दिनांक 27.08.2025 एवं अन्य कागजातों को दिखाया जाकर पढवाया गया तथा परिवादी से वार्ता कराई गई ताबाद परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर दोनो गवाहों के हस्ताक्षर दिनांक सहित अंकित करवाये गये। इस पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड को लेपटॉप से कनेक्ट कर सत्यापन वार्ता के मुख्य अंश सुने गये तो प्रार्थना पत्र, मजिद दरयाम एवं रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से मामला रिश्वत लेन देन का होना पाया जाता है। इस समय परिवादी हरिओम से मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने संदिग्ध आरोपी एसडीएम के रीडर मुकेश को देने के लिये रिश्वत राशि बाबत पूछा तो परिवादी ने बताया कि मेरे पास रिश्वत राशि 80,000/- रूपये का इन्तजाम नहीं है इस वजह से में 50,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के व 30,000/-रूपये डमी करेन्सी के लेकर आया हू। इसके बाद समय 11.00 ए.एम पर स्वतत्र गवाहान के समक्ष मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री हरिओम पुत्र हरवीर सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम पान्होरी जिला डीग मे आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राषि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 100 नोट (सौ) भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल 50,000/-(पचास हजार) रूपये व 60 नोट 500-500 के डमी करेंसी जिसमें प्रत्येक पर भारतीय मनोरंजन बैंक व 500 FULL OF FUN एवं पीछे की तरफ 500 MANORANJAN BANK OF INDIA FIVE HUNDERD NUMBER लिखा हुआ है को अपने पास से निकालकर मन अति. पुलिस अधीक्षक को पेश किये। नोटो का विवरण फर्द पर अंकित है। पेशशुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री मनोज कुमार कानि. 179 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी सरकारी वाहन बोलेरो के डेस्क बोर्ड से निकलवाकर मंगवाई जाकर सर्किट हाउस भरतपुर के कमरा नम्बर 10 में रखी टेबिल पर एक अखबार बिछवाकर अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री मनोज कुमार कानि. 179 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री हरिओम की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सिकंदर खान कनिष्ठ सहायक से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे रिष्वती राशि 500-500 रूपये के 100 नोट (सौ) भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल 50,000/-(पचास हजार) रूपये व 60 नोट 500-500 के डमी करेंसी के कुल 30,000/- रूपये के उक्त नोटों को श्री मनोज कुमार कानि0 से परिवादी की पहनी हुई पेंट की दांयी तरफ की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा राशि प्राप्त कर लेने के बाद नियत ईशारा सिर पर दो बार हाथ फैरकर अथवा मोबाईल से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या ब्रहमदेव कानि. को मिसकॉल देकर अवगत करावे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री धीरज से सर्किट हाउस के उक्त कमरे में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री मनोज कुमार कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन को सर्किट हाउस के उक्त कमरे के वाशवेशन में फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्री मनोज कुमार कानि. 179 के पास सुरक्षित रखवायी। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल

फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर टे्प बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। श्री मनोज कुमार कानि.179 को बाद हिदायत सर्किट हाउस भरतपुर में ही छोडा गया। फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये थे। इसके बाद समय 12.30 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री हरिओम मय श्री ब्रह्मदेव कानि.449 को अपनी-अपनी निजी मोटरसाईकिलो से टे्प कार्यवाही हेतु कार्यालय उप खण्ड जिला डीग के लिए रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय श्रीकान्त हैड कानि. मय श्री इन्द्रजीत सिह हैड कानि. 71 मय श्री योगेश सिह कानि. 88 मय टे्प बॉक्स, टे्प कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणो इत्यादि के सरकारी वाहन मय कानि चालक श्री शंकर लाल मीणा के टे्प कार्यवाही हेतु कार्यालय उप खण्ड जिला डीग के लिए रवाना हुआ। श्री मनोज कुमार कानि.179 मय फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी के सर्किट हाउस भरतपुर छोडा गया था। इसके बाद समय 01.30 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा कार्यालय उपखण्ड डीग के आसपास सुनसान जगह पहुंचा, जहां पर परिवादी हरिओम व ब्रहमदेव कानि. अपनी अपनी मोटरसाईकिल से उपस्थित मिले। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री ब्रहमदेव कानि. से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करवाकर परिवादी हरिओम को सिपुर्द कर रिश्वत राशि लेन-देन हेतु आरोपी मुकेश कुमार रीडर के पास कार्यालय उपखण्ड अधिकारी डीग रवाना किया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी के परिवादी के नियत ईशारे की प्रतिक्षा में मुकीम हुआ। इसके बाद समय 01.55 पी.एम पर परिवादी श्री हरिओम बिना रिश्वत राशि के ईशारे के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया इसके बाद स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पूछने पर बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर एस.डी. एम कार्यालय डीग पहुंचकर मुकेश कुमार रीडर से मिला और काम के संबंध में बात की तो रीडर ने कहा कि पटवारी पुलिस की रिपोर्ट आने दो, इस पर मैने अस्सी हजार रिश्वत राशि दी तो उन्होने कहा कि पहले पटवारी व पुलिस थाना से रिपोर्ट आने दो उसके बाद देख लेगे अभी आप अपने पास ही रखो इसके बाद मैं मुकेश कुमार रीडर के पास रवाना होकर एस.डी. एम साहब के पास पहुंचा तो मेरे काम के संबंध एस.डी.एम साहब से बातचीत कर वहा से रवाना होकर आपके पास आ गया उक्त वार्ता को मैने विभागीय वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया इसके पश्चात् स्वतत्र गवाहान के समक्ष वॉईस रिकार्डर को चैक किया गया तो उक्त रिकॉर्डर में वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई। इसके पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान मय परिवादी के वहां से रवाना होकर समय करीब 02.10 पी.एम पर परिवादी के गुलशन गेस्ट हाउस नगर रोड डीग पहुंचकर श्रीकान्त हैड कानि. 72 से स्वतंत्र गवाहन के समक्ष परिवादी को सुपुर्द शुदा रिश्वती राशि जो परिवादी की पहनी पेन्ट की दायी जेब में रखी हुई है को सीधे ही निकलवाकर सफेद कागज के लिफाफे में रखवाकर सुरक्षित टे्प बॉक्स मे बाद हिदायत रखवाई गई थी। इसके बाद समय 02.20 पी.एम पर विभागीय वाईस रिकार्डर को लैपटॉप में कनेक्ट किया जाकर विभागीय वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 27.08.2025 को विभागीय लैपटॉप से टेबिल स्पीकर को कनेक्ट किया जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी श्री हरिओम व स्वंतत्र गवाहान श्री सिकन्दर खांन कनिष्ठ सहायक, श्री धीरज कनिष्ठ सहायक कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर की उपस्थिति में टेबिल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी से पूछ-पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट वार्ता एवं शुद्ध हिन्दी रूपान्तरण तैयार की गई तथा उक्त रिकॉर्ड वार्ता की मूल मैमोरी कार्ड एवं चार डीवीडीयां क्रमश- दो मुलजिम प्रति, न्यायालय प्रति एवं आईओ प्रति तैयार की जाकर मूल मैमोरी कार्ड व मुलजिम डी.वी.डी., न्यायालय डीवीडी को अलग सफेद कपडे की थैली में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जरिये फर्द जप्त किया गया। सील्ड शुदा मैमोरी कार्ड को मार्क M सील्ड शुदा डी.वी.डी. पर मार्क A अंकित किया रिकॉर्ड वार्ता की हैश वैल्यु निकाली जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा आईओ प्रति डी.वी.डी को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा जाकर समय 03.15 पी.एम पर विभागीय वाईस रिकार्डर को लैपटॉप में कनेक्ट किया जाकर विभागीय वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत लेन-देन संबंधी वार्ता दिनांक 28.08.2025 को विभागीय लैपटॉप से टेबिल स्पीकर को कनेक्ट किया जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी श्री हरिओम व स्वंतत्र गवाहान श्री सिकन्दर खॉन कनिष्ठ सहायक, श्री धीरज कनिष्ठ सहायक कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर की उपस्थिति में टेबिल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी से पूछ-पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट वार्ता एवं शुदध हिन्दी रूपान्तरण तैयार की गई तथा उक्त रिकॉर्ड वार्ता की मूल मैमोरी कार्ड एवं चार डीवीडीयां क्रमश-दो मुलजिम प्रति, न्यायालय प्रति एवं आईओ प्रति तैयार की जाकर मूल मैमोरी कार्ड व मुलजिम डी.वी.डी., न्यायालय डीवीडी को अलग सफेद कपडे की थैली में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जरिये फर्द जप्त किया गया। सील्ड शुदा मैमोरी कार्ड को मार्क M-1 व सील्ड शुद्वा डी.वी.डी. पर मार्क बी अंकित किया रिकॉर्ड वार्ता की हैश वैल्यु निकाली जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा आईओ प्रति डी.वी.डी को कपडे की थैली में

रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनषील्ड फाईल पर रखा गया। सील्ड शुदा मैमोरी कार्ड मार्क एम व एम-1 एवं मुल्जिम प्रतियों डीवीडियों मार्क ए व बी को मालखाना प्रभारी श्रीकान्त हैड कानि. 72 को दुरूस्त हालात में सुपुर्द कर हिदायत की गई कि ब्यूरो कार्यालय चैकी धौलपुर पहुंचकर उक्त सील्ड आर्टिकल्स को मालखाना में जमा कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात् ममय 05.00 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी हरिओम को हिदायत की जब आरोपीगण आपसे सम्पर्क करे तो तुरन्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 को अवगत करावे। इसके पष्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रीकान्त हैड कानि. मय टे्प पार्टी मय स्वतंत्र गवाहान मय टे्प कार्यवाही में उपयोग आने वाले उपकरणो मय टे्प बॉक्स में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि जो सफेद रंग के लिफाफे में रखी हुई है एवं सील्ड शुदा आर्टिकल्स मय सरकारी वाहन ब्यूरो चौकी धौलपुर पहुंचने की हिदायत कर परिवादी के गुलशन गेस्ट हाउस से रवाना हुआ। इसके बाद दिनांक 19.09.2025 को समय 02.00 पी.एम पर दर्ज रहे कि कल दिनांक 18.09.25 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये दूरभाष श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 द्वारा अवगत कराया गया कि मेरी परिवादी श्री हरिओम से जरिये दूरभाष वार्ता हुई है कि परिवादी ने बताया कि मेरी एस.डी.एम साहब देवी सिह से वार्ता हो चुकी है संभवतया कल दिनांक 19.09.25 को एस.डी.एम एवं रीडर मुकेश कुमार मेरे से रिश्वत राशि ले सकता है, इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रीकान्त हैड कानि. 72 को जरिये दूरभाष हिदायत दी गई कि आप कल दिनांक 19.09.2025 को समय करीबन 11.00 ए.एम पर टे्प पार्टी, स्वतंत्र गवाहन, टे्प बॉक्स, मय टे्प बॉक्स में सुरक्षित रखी फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि, जो सफेद कलर के लिफाफे में है एवं टे्प कार्यवाही में काम आने वाले उपकरण इत्यादि के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सर्किट हाउस भरतपुर में उपस्थित मिले। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्य दिगर राजकार्य करता हुआ सर्किट हाउस भरतपुर पहुंचा जहां पर पूर्व से पाबन्द श्रीकान्त हैड कानि. 72 मय जाप्ता श्री इन्द्रजीत सिह हैड कानि. 71 श्री योगेश सिह कानि. 88 श्री मनोज कुमार कानि. 179 श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक मय स्वतंत्र गवाहान श्री धीरज कनिष्ठ सहायक, श्री सिकन्दर खॉन कनिष्ठ सहायक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री धीरज कनिष्ठ सहायक व श्री सिकन्दर खान कनिष्ठ सहायक टे्प बॉक्स, मय टे्प बॉक्स में सुरक्षित रखी फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि, जो सफेद कलर के लिफाफे में है एवं टे्प कार्यवाही में काम आने वाले उपकरण इत्यादि मय सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड में फिनोफ्थलीन पाउडर शीशी के सरकारी/प्राईवेट वाहन मे उपस्थित मिले, जिनको सर्किट हाउस के कमरा नम्बर 110 बाद हिदायत बिठाया गया तथा श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरी परिवादी श्री हरिओम से वार्ता हो चुकी है, परिवादी ने भरतपुर आने में असमर्थ जाहिर की, इसके बाद समय 02.30 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनों स्वतंत्र गवाहन के समक्ष टे्प बॉक्स में से सफेद लिफाफा में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि 80,000/-रूपये (50,000/-रूपये भारतीय चलन मुद्रा व 30,000/-रूपये डमी करेंसी) को श्री मनोज कुमार कानि. 179 से निकलवाकर दिनांक 28.08.2025 को सर्किट हाउस भरतपुर में बनाई गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया जाकर पुनः सफेद कागज के लिफाफे में रखवाये गये। इसके पश्चात श्री मनोज कुमार कानि. से सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर जाकर उक्त सफेद रंग के लिफाफे जिसमें रिश्वत राशि 80,000/-रूपये (50,000/-रूपये भारतीय चलन मुद्रा व 30,000/-रूपये डमी करेंसी) रखी हुई है उक्त सफेद रंग के लिफाफे के ऊपर व नीचे श्री मनोज कुमार कानि. से फिनोफ्थलीन पाउडर रखवाया जाकर उक्त सफेद रंग के लिफाफे को जिसमें फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि रखी हुई को सीधे ही मनोज कुमार कानि. के मार्फत सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाई गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री मनोज कुमार कानि. के दोनों हाथो को साबुन-पानी से साफ करवाये जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने व समस्त टे्प पार्टी मय स्वतंत्र गवाहान के हाथ पानी से साफ करवाया गया। तत्पश्चात श्री मनोज कुमार कानि. 179 व फिनोफ्थलीन पाउडर शीशी को सर्किट हाउस के कमरा नम्बर 110 भरतपुर में छोडा गया। इसके बाद श्री इन्द्रजीत सिह हैड कानि. 71 मय श्री योगेश सिह कानि. 88 श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक मय स्वतंत्र गवाह श्री सिकन्दर खाॅन कनिष्ठ सहायक को प्राईवेट वाहन से टे्प कार्यवाही हेतु डीग रवाना किया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्रीकान्त हैड कानि. 72, श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 व स्वतंत्र गवाह श्री धीरज कनिष्ठ सहायक मय टे्प बॉक्स मय टे्प कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणो सहित सरकारी वाहन मय चालक के टे्प कार्यवाही हेतु डीग के लिए रवाना हुआ। इसके बाद समय 03.40 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वंतत्र गवाहान मय टे्प पार्टी, के उपरोक्त फिकरा के रवाना शुद्रा परिवादी के बताये अनुसार के परिवादी श्री हरिओम के गुलशन गेस्ट हाउस नगर रोड डीग पहुंचा जहां पर परिवादी श्री हरिओम उपस्थित मिला पूछने पर बताया कि मेरी एस.डी.एम साहब देवी सिह से वार्ता हो चुकी है आज दिनांक 19.09.25 को एस.डी.एम एवं रीडर मुकेश कुमार मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त कर सकते है। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड मे रखी सुरक्षित सफेद रंग के लिफाफे में फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि 80,000/-रूपये (50,000/-रूपये भारतीय चलन मुद्रा व 30,000/-रूपये डमी करेंसी को श्रीकान्त हैड कानि. 72 से निकलवाया जाकर परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया, इसके पश्चात श्रीकान्त हैड कानि. से उक्त सफेद रंग लिफाफे फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि को परिवादी की पहनी

हुई पेंट की दांयी तरफ की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त लिफाफे को अनावष्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपीगण द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगा हुआ फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त लिफाफे को उन्हे निकालकर दे तथा आरोपीगण द्वारा कहने पर ही लिफाफे में रखी रिश्वत राशि को निकालकर देवे अन्यथा लिफाफे सहित फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि को मांगने पर देवें तथा इसका पूरा ध्यान रखे तथा आरोपीगण द्वारा राषि प्राप्त कर लेने के बाद नियत ईशारा सिर पर दो बार हाथ फैरकर अथवा मोबाईल से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या ब्रहमदेव कानि. को मिसकॉल देकर अवगत करावे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे, इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर टे्प बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर वक्त रिष्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय टे्प पार्टी मय परिवादी मय सरकारी/ प्राईवेट वाहन से परिवादी के गुलशन गेस्ट हाउस नगर रोड डीग से रवाना होकर कार्यालय उपखण्ड डीग के आसपास पहुंचे जहां पर परिवादी श्री हरिओम, को श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू करवाकर परिवादी को सुपुर्द कर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी डीग के लिए रवाना किया उसके पीछे-पीछे श्री योगेश सिह कानि. 88 व श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 को रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष टे्प पार्टी के परिवादी के नियत ईशारे की इंतजार में मुकीम हुआ। इसके बाद 04.10 पी.एम पर परिवादी बिना ईशारे के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया जिससे विभागीय डिजिटल वा◌ॅइ◌्रस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा और परिवादी ने स्वंतत्र गवाहान के समक्ष बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर कार्यालय उपखण्ड डीग में पहुंचकर आरोपी श्री मुकेश कुमार रीडर से मिला एवं रिश्वत राशि के संबंध में बातचीत की तो मुकेश कुमार रीडर ने कहा कि एस.डी.एम साहब को दे दों एस.डी.एम साहब पान्होरी ग्रामीण सेवा शिविर में गये हुये है। इसके बाद डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सरसरी तौर पर सुना गया तो डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में परिवादी द्वारा बताई गई वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई है। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी मय स्तवंत्र गवाहान मय टे्प पार्टी सरकारी/प्राईवेट वाहनो से परिवादी के गुलशन गेस्ट हाऊस नगर रोड डीग के लिए रवाना हुये। इसके बाद समय 04.20 पी. एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा परिवादी के गुलशन गेस्ट हाउस नगर रोड डीग पहुंचा जहां पर परिवादी को स्तवंत्र गवाहान के समक्ष मुनासिव हिदायत कर मय रिश्वत राशि युक्त लिफाफे मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के श्री ब्रह्मदेव कानि. 449, श्री योगेश सिह कानि. 88 के हमराह परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से रवाना किया एवं श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 को हिदायत दी गई कि पान्होरी ग्रामीण सेवा शिविर में पहुंचने से पूर्व परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द करे बाद मुनासिव हिदायत कर रवाना किया। इसके बाद समय 05.00 पी.एम पर परिवादी श्री हरिओम मय श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 श्री योगेश सिह कानि. 88 मय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय रिश्वत राशि युक्त लिफाफे मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आये परिवादी ने पूछने पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बताया कि हम आपके पास से रवाना होकर पान्होरी ग्रामीण सेवा शिविर के पास पहॉचे जहां पर श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर इसके बाद हम पान्होरी ग्रामीण सेवा शिविर पहुंचे जहां पर श्री देवी सिह उप खण्ड अधिकारी उपस्थित मिला जिससे मैने अपने कार्य के बारे वार्ता की तो एसडीएम साहब ने कहा कि आप मुकेश को सामान देकर अपना काम करवा लो इसके बाद हम वहां से रवाना होकर आपके पास आ गये। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को प्राप्त कर परिवादी व श्री देवी सिह उप खण्ड अधिकारी के मध्य हुई वार्ता को सरसरी तौर पर सुना गया तो डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई। इसके बाद समय 05.15 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय टे्प पार्टी मय परिवादी मय सरकारी/ प्राईवेट वाहन से परिवादी के गुलशन गेस्ट हाउस नगर रोड डीग से रवाना होकर कार्यालय उपखण्ड डीग के आसपास पहुचे जहां पर परिवादी श्री हरिओम, को श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू करवाकर परिवादी को सुपुर्द कर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी डीग के लिए रवाना किया उसके पीछे-पीछे श्री इन्द्रजीत सिह हैड हैड कानि. 71 मय राजकुमार कनिष्ठ सहायक को रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष टे्प पार्टी के परिवादी के नियत ईशारे की इंतजार में मुकीम हुआ। इसके कुछ समय पश्चात ही दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री धीरज कनिष्ठ सहायक व श्री सिकन्दर खान कनिष्ठ सहायक के सामने परिवादी श्री हरिओम पुत्र हरवीर सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम पान्होरी जिला डीग ने समय 05.20 पीएम पर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी डीग के चैनल गेट से पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर मन ज्ञान सिंह चौधरी अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक एसीबी धौलपुर को ईशारे की सूचना दिये जाने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहन व ट्रेप पार्टी सदस्यो को साथ लेकर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जिला डीग के चेनल गेट से होकर अन्दर पहुचां तथा कार्यवाही की सरकारी विडियों कैमरा से श्री योगेश सिंह कानि 88 को विडियोग्राफी करने की हिदायत दी गई एवं परिवादी कार्यालय के कमरा नम्बर 03 के गेट पास खडा मिला, जिससे वाईस रिकार्डर (पैन्ड्राईव नुमा एसडी कार्ड डले सहित) प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित रखा गया. तत्पश्चात् पूछने पर परिवादी हरिओम ने बताया कि आज दिनांक 19.09.2025 को मेरे व एसडीएम देवी सिंह के पान्होरी केम्प में हुई वार्ता अनुसार देवी सिंह एसडीएम साहब के कहे अनुसार मैने कमरा नम्बर 03 के अन्दर टेबिल के साईड में खडा व्यक्ति मुकेश कुमार रीडर है, जिसने अभी थोडी देर पहले मेरे से मेरी विवादित जमीन का रिसिवर आदेश करने व मेरे पक्ष में निर्णय देने के लिये अपनी मांग अनुसार 80,000/-रूपये रिश्वत राशि जो सफेद कलर के लिफाफे में रखी हुई थी, जिसमें 50,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा व 30,000/- रूपये डमी नोट थे, को अपने दांये हाथ में लेकर बायें हाथ से अपने कार्य करने की टेबिल के उपर रख दिये है, जो अभी भी सफेद कलर का लिफाफा उनकी टेबिल पर ही रखा हुआ है। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी मय स्वंतत्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी के कमरे के अन्दर प्रवेश हुआ, जहां पर उक्त कमरे की टेबिल के साईड में एक व्यक्ति खडा हुआ मिला, खडे हुये व्यक्ति की तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि ये ही मुकेश कुमार है, इस पर टेबिल के साईड में खडे व्यक्ति को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुये उससे उसका परिचय पूछा तो उसने घबराते हुये अपना नाम मुकेश कुमार पुत्र श्री औंकार सिंह उर्फ श्री ओमकार सिंह जाति जाट उम्र 45 वर्ष निवासी सिनसिनी पुलिस थाना डीग सदर, जिला डीग हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय उपखण्ड (एसडीएम रीडर) जिला डीग होना बताया तथा आरोपी मुकेश कुमार रीडर के कार्य करने वाली टेबिल पर रखे लिफाफे के बारे में पूछा तो कोई जबाब नही दिया, इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने टेबिल पर रखे लिफाफे को यथास्थिति टेबिल पर रखे रहने की हिदायत कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी मुकेश कुमार रीडर से एसडीएम देवी सिंह के बारे में पूछा तो बताया कि गांव खोहरी में ग्रामीण सेवा सिविर चल रहा है, एसडीएम साहब वहां गये हुये है। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री इन्द्रजीत सिंह हैड कानि. मय जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान को आरोपी श्री मुकेश कुमार रीडर को यथास्थिति रखने की निगरानी की हिदायत कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता श्रीकान्त हैड कानि. 72, श्री योगेश सिंह कानि. 88 मय परिवादी हरिओम के मय सरकारी वाहन चालक श्री शंकर लाल कानि. के समय करीबन 05.30 पी.एम पर पर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जिला डीग से रवाना होकर समय करीबन 05.50 पी.एम पर कैम्प खोहरी जिला डीग पहुंचा, जहां पर खोहरी सिविर में एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठे हुये को देखकर परिवादी ने हाथ का ईशारा कर बताया की सामने जो व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हआ है,वही व्यक्ति देवी सिंह एसडीएम जिला डीग है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता मय परिवादी के मसय उक्त व्यक्ति के पास पहुंचे, जिसे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ट्रेप कार्यवाही मे अवगत करवाते हुये अपना व हमराहीयान का परिचय देकर नाम पता पूछा तो घबराते हुये उसने अपना नाम देवी सिंह पुत्र छिन्नाराम जाति जाटव, उम्र 51 वर्ष निवासी कस्बा बैर पुलिस थाना बैर जिला भरतपुर हाल कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जिला डीग होना बताया। परिवादी हरिओम द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र व रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन-देन से पूर्व हुई परिवादी व देवी सिंह एसडीएम के मध्य हुई वार्ता से एसडीएम देवी सिंह संलिप्तता प्रमाणित होने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता मय परिवादी मय आरोपी देवी सिंह एसडीएम मय वाहन सरकारी चालक के समय 06.00 पी.एम पर कैम्प खोहरी से रवाना होकर समय 06.20 पी.एम पर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय डीग पहुंचा। जहां पर आरोपी एसडीएम देवी सिंह को जाप्ता की निगरानी में एसडीएम कक्ष में बिठाया जाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पूर्व से जाप्ता की निगरानी में मौजूद श्री मुकेश कुमार रीडर से स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष परिवादी हरिओम से ली गयी रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछा गया तो आरोपी मुकेश कुमार रीडर ने बताया कि मैने श्री हरिओम से रिश्वत राशि मांग करी है ना ही प्राप्त की आज दिनांक 19.09.2025 को हरिओम मेरे पास मेरे कार्यालय कक्ष में आया और जबरदस्ती मेरे कार्य करने की टेबिल पर रख कर चला गया इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जाप्ता की मदद से श्री देवी सिह उप खण्ड अधिकारी को अपने समक्ष बुलाया और परिवादी से रिश्वत लेन-देन से पूर्व हुई वार्ता एवं रिश्वत राशि के संबंध में पूछा गया तो बताया कि मेरी हरिओम से कोई रिश्वत राशि के संबंध में वार्ता नही हुई है और ना ही मैने हरिओम को मुकेश कुमार रीडर को रिश्वत राशि देने के लिए कहा है इस पर पास ही खडे परिवादी श्री हरिओम ने आरोपीगण की बातो को झूठा बताते हुये बताया कि मैंने एक जमीन आज से करीब तीन वर्ष पूर्व मेरे गांव के ही भागे पत्नि नत्थी, राजन पत्नि खेमचन्द जाटव से जरिये स्टाम्प पर मेरे मित्र गुलषन पुत्र मोहनलाल कोली निवासी डीग हाल गुलषन गेस्ट हाउस नगर रोड डीग के नाम से खरीदी थी। क्योंकि मेरे द्वारा खरीदी गई जमीन एससी की होने से मेरे नाम नही होने के कारण उक्त जमीन मैने मेरे मित्र गुलषन के नाम पर खरीदी थी। उक्त जमीन में हम दोनो साझीदार है। उक्त खसरा नम्बर 2262,2263 वाके ग्राम पान्होरी द्वितीय में स्थित है और जिसका विवाद एसडीएम कोर्ट डीग में रिसिवर कराने हेतु एक वर्ष से लम्बित है। उक्त जमीन के रिसिवर आदेष करवाने हेतु मैं एसडीएम देवीसिंह जिला डीग से मिला तो उन्होने मुझसे कहा कि मेरे रीडर मुकेश कुमार मिल लेना कि कहने पर मै मुकेश कुमार रीडर से मिला तो मुकेश कुमार रीडर ने मुझसे एक लाख पचास हजार रूपये की मांग की इस मैने ब्यूरो के टोल फ्री नम्बर 1064 पर षिकायत दर्ज करवाई इसके

बाद आप से मेरी जरिये दूरभाष वार्ता होने पर दिनांक 27.08.2025 को आपने श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 को मेरे पास डीग भेजकर रिश्वत मांग का सत्यापन कराया सत्यापन के दौरान मुकेश कुमार रीडर द्वारा मुझसे मेरे पक्ष में रिसीवर आदेश करवाने के लिए अपने व एसडीएम साहब के लिए एक लाख पचास हजार रूपये की रिश्वत मांग की मेरे द्वारा निवेदन करने पर आरोपी श्री मुकेश कुमार रीडर अस्सी हजार रूपये लेने पर सहमत हो गया, उक्त मांग के क्रम में दिनांक 28.08.2025 को टे॰प कार्यवाही के दौरान पटवारी की रिपोर्ट नही आने के कारण मुकेश कुमार रीडर द्वारा रिश्वत राशि नही ली थी। दिनांक 27.08.2025 को हुई रिश्वत मांग के अनुसरण में आज दिनांक 19.09.2025 को आरोपी श्री मुकेश कुमार रीडर से मिला एवं रिश्वत राशि के संबंध में बातचीत की तो मुकेश कुमार रीडर ने कहा कि एस.डी.एम साहब को दे दों एस.डी.एम साहब पान्होरी ग्रामीण सेवा शिविर में गये हुये है। उक्त वार्ता को मैने वॉईस रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर लिया है इसके बाद आपके निर्देशानुसार मै व जाप्ता श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 व श्री योगेश सिह कानि. 88 पान्होरी ग्रामीण सेवा शिविर पहुंचे जहां पर श्री देवी सिह उप खण्ड अधिकारी उपस्थित मिला जिससे मैने अपने कार्य के बारे वार्ता की तो एसडीएम साहब ने कहा कि आप मुकेश को सामान देकर अपना काम करवा लो इसके बाद हम वहां से रवाना होकर आपके पास आ गये। इसके बाद आपने ने मुझे पुनः वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर रिश्वत राशि आरोपी श्री मुकेश कुमार रीडर को देने हेतु रवाना किया जिस पर मै कार्यालय उपखण्ड डीग पहुंचा जहां पर मुकेश कुमार रीडर ने मेरे से मेरी विवादित जमीन का रिसिवर आदेश करने व मेरे पक्ष में निर्णय देने के लिये अपनी मांग अनुसार 80,000/-रूपये रिश्वत राशि (50,000/-रूपये भारतीय चलन मुद्रा व 30,000/-रूपये डमी करेंसी) जो सफेद रंग के लिफाके में रखी हुई, को प्राप्त कर अपने कार्य करने की टेबिल पर रखवा लिये है। इसके पश्चात आरोपी मुकेष कुमार रीडर द्वारा परिवादी श्री हरिओम से अपने कार्यालय कक्ष में कार्य करने की टेबिल पर रखवायी गई रिश्वत राशि लिफाफा सफेद रंग के को स्वंतत्र गवाह श्री धीरज से सफेद रंग के लिफाफे को चैक करवाया गया व खुलवाया गया व गिनवाया गया तो सफेद रंग के लिफाफे में पांच पांच सौ के 100 नोट व पांच-पांच सौ रूप्ये के 60 नोट डमी होना पाये गये, उक्त बरामद शुदा (50,000/-रूपये भारतीय चलन मुद्रा व 30,000/-रूपये डमी करेंसी) के नोटो के नम्बरो का मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहान से पूर्व मे तैयार की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरों से करवाया गया तो नोटो के नम्बरो का मिलान हूबहू होना पाया गया। जिनका विवरण फर्द पर अंकित है। 60 नोट पांच-पांच सौ रूपये के डमी करेंसी कुल 30,000 पर आरोपीगण श्री देवी सिंह एसडीएम व श्री मुकेश कुमार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (रीडर) , दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री हरिओम एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्रमाण स्वरूप अपने-अपने हस्ताक्षर किये। सभी नोटो मय सफेद रंग का लिफाफा को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात श्रीकान्त हैड कानि. से सरकारी वाहन में से टे॰प बॉक्स निकलवाकर मंगवाया गया और ट्रेप बाक्स में से प्लास्टिक के दो पारदर्शी डिस्पोजल निकलवाकर कार्यालय परिसर में रखे पानी के केम्पर में से एक बोतल पानी की मंगवाकर उक्त डिस्पोजल गिलासों में गवाह श्री सिकन्दर खान से पानी भरवाकर तथा उक्त गवाह से ही उनमें थोडा-थोडा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो दोनो गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे संबंधितो को दिखाया तो सभी ने गिलासो के घोल का रंग साफ सफेद होना स्वीकार किया। इसके बाद एक पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी मुकेश कुमार रीडर के दाहिने हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे संबंधितो ने देखकर धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों मे आधा आधा भरवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क-आर.एच-1, आर.एच-2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उसके बाद दूसरे पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी मुकेश कुमार रीडर के बांये हाथ की अंगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे संबंधितो ने देखकर धोवन का हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों मे आधा आधा भरवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क एल.एच-1, एल.एच-2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया इसके बाद ट्रेप बाक्स में से पुनः प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल निकलवाकर बोतल मे से पानी उक्त डिस्पोजल गिलास में गवाह श्री सिकन्दर खान से पानी भरवाकर तथा उक्त गवाह से ही उसमें थोडा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो गिलास के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे संबंधितो को दिखाया तो सभी ने गिलास के घोल का रंग साफ सफेद होना स्वीकार किया, इसके बाद टे॰प बॉक्स में से रूई का फोहा निकलवाकर उक्त घोल में रूई के फोहे को गिला किया जाकर आरोपी मुकेश कुमार रीडर द्वारा रिश्वत राशि को अपने कार्य करने की टेबिल पर रखने के स्थान को रंगडकर उक्त रूई के फोहे को घोल में धुलवाया गया तो घोल गहरा गुलाबी हो गया उक्त धोवन के घोल को दो साफ काँच की शीशीयों मे आधा आधा भरवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क आर-1, आर-2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया इसके बाद रूई के फोहा को सुखाया जाकर एक पॉलीथीन की थैली में रखकर पुनः एक कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्क आर अंकित किया जिस पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा काम में लिये गये सभी पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को

जलवाकर नष्ट करवाया गया। इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से प्राप्त विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड डब्ले महित को दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में चालू कर सुना गया तो विभागीय वाईस रिकॉडर में रिश्वत लेन-देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं डबिंग सीडी पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद आरोपी मुकेश कुमार रीडर से परिवादी श्री हरिओम रिसिवर/कार्य से संबंधित पत्रवाली के बारे पूछा तो उसने कार्यालय उपखण्ड डीग के न्यायालय कक्ष मे से निकाल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश की जिसको मक्षम अधिकारी से प्रमाणित करवाया जाकर पृथक जरिये फर्द जप्त किया जावेगा। इसके बाद परिवादी एवं आरोपीगण श्री देवी सिह उप खण्ड अधिकारी व श्री मुकेश कुमार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (रीडर) एक-दूसरे से पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिश या दुश्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन-देन तो बकाया नही है, इस पर परिवादी व आरोपीगण ने अपनी-अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया। वक्त कार्यवाही बरामदगी व हाथ आदि धुलाई की विभागीय बीडीयो कैमरा मे जरिये योगेश सिह कानि. 88 से कराई गई बीडीयोग्राफी की पृथक से पैनड्राईव/सीडी डंबिग तैयार करवाई जाकर फर्द मुर्तिब की जावेगी। आरोपीगण श्री देवी सिह उप खण्ड अधिकारी व श्री मुकेश कुमार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (रीडर) का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित वर्ष 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 की अपराध श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपीगण को जरिये फर्द पृथक मे गिरफ्तार किया जावेगा। फर्द बरामदगी पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद संबंधित के हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। आरोपीगण के निवास स्थान की खाना तलाशी हेतु उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। इस समस्त कार्यवाही में धोवन की शीशीयों बरामद शुदा रिश्वती राशि, रूई के फोहे आदि को सील्ड मोहर करने के उपयोग में ली गई पीतल की नमूना सील नं. 47. का नमूना फर्द पर अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर इसके बाद समय 09.00 पी.एम पर

पूर्व से तलब शुदा तहसीलदार श्रीमति जुगीता देवी उप खण्ड कार्यालय डीग में उपस्थित आने पर स्वतंत्र गवाहन के समक्ष परिवादी श्री हरिओम की मौजूदगी में आरोपी मुकेश कुमार रीडर द्वारा पूर्व में पेश कि गई परिवादी के कार्य से संबंधित पत्रावली जो मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखी है का अवलोकन किया गया तो एक गुलाबी सरवर कवर जिसके ऊपर मुकदमा नम्बर 01/2025 गुलशन बनाम मंगो अंकित है तथा अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग गुलशन बनाम मंगो मुकदमा किस्म 164 बीएनएस नम्बर 01/2025 अंकित है 20.01.25 को थानाधिकारी सदर डीग की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया है उक्त मुकदमा नम्बर के आर्डरशीट दिनांक 03.09.25 को प्रकरण के संबंध में थानाधिकारी सदर डीग से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि पत्रावली बहस की स्टेज पर प्रकरण में तहसीलदार डीग से नवीनतम रिपोर्ट लिये जाने हेतु लिखा जाकर आगामी तारीख पेशी18.09.25 नियत है उक्त पत्रावली के अवलोकन से प्रमाणित है परिवादी के रिसीवर आदेश न्यायालय उपखण्ड डीग में लम्बित है। उक्त मूल पत्रावली की छायाप्रति करवाकर छायाप्रति को तहसीलदार श्री मति जुगीता देवी से प्रमाणित करवाकर पेडिंग करवाई गई तो क्रम संख्या 01 से 76 तक लगायत है, प्रथम व अंतिम पृष्ठ पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी ली गई, मूल पत्रावली परिवादी के पेंडिग कार्य को पूर्ण कराने हेतु तहसीलदार डीग श्रीमति जुगीता को सुपुर्द की गई। फर्द जप्ती नियमानुसार पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद 09.30 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष आरोपी देवी सिंह पुत्र छिन्नाराम जाति जाटव, उम्र 51 वर्ष निवासी कस्बा बैर पुलिस थाना बैर जिला भरतपुर हाल कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जिला डीग को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पद व अधिकारों एवं समस्त कानूनी प्रावधानों से अवगत करवाते हुए तथा तमाम ट्रेप कार्यवाही से जुर्म धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) एवं 61 (2) बीएनएम 2023 में लिप्त पाये जाने पर जुर्म से आगाह कर परिवादी एवं तथ्यों से परिचित गवाहान को धमकाने एवं टेम्परविद करने का अंदेशा होने पर इन्हे गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है। गिरफ्तारी से पूर्व आरोपी देवी सिह उप खण्ड अधिकारी की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री सिकन्दर खॉन कनिष्ठ सहायक से लिवाई गई तो आरोपी के पास पहने हुये कपडो के अलावा एक मोबाईल वन प्लस कम्पनी जो स्वतंत्र गवाह श्री सिकन्दर खॉन कनिष्ठ सहायक के पास सुरक्षित रखा गया तथा आरोपी की पहनी हुई शर्ट में 300/-रूपये मिले जिनका पूछा गया तो स्वंय के लिए जेब खर्च होना बताया आरोपी जबाव संतोषप्रद पाये जाने पर आरोपी परिजनो के आने पर मोबाईल व 300/-रूपये सुपुर्द किये जायेगें। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना पृथक मे दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 09.55 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष आरोपी मुकेश कुमार पुत्र श्री औंकार सिंह उर्फ श्री ओमकार सिंह जाति जाट उम्र 45 वर्ष निवासी सिनसिनी पुलिस थाना डीग सदर, जिला डीग हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय उपखण्ड (एसडीएम रीडर) जिला डीग को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पद व अधिकारों एवं समस्त कानूनी प्रावधानों से अवगत करवाते हुए तथा तमाम ट्रेप कार्यवाही से जुर्म धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) एवं 61 (2) बीएनएस 2023 में लिप्त पाये जाने पर जुर्म से आगाह कर परिवादी एवं तथ्यों से परिचित गवाहान को धमकाने एवं टेम्परविद करने का अंदेशा होने पर इन्हे गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है। गिरफ्तारी से पूर्व आरोपी मुकेश कुमार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री सिकन्दर खॉन कनिष्ठ सहायक से लिवाई गई तो आरोपी के पास पहने हुये कपडो के अलावा एक

मोबाईल वन प्लस कम्पनी जो स्वतंत्र गवाह श्री सिकन्दर खॉन कनिष्ठ सहायक के पास सुरक्षित रखा गया तथा आरोपी की पहनी हुई शर्ट में 5500/-रूपये मिले जिनका पूछा गया तो पानी व बिजली का बिल भरने एवं स्वंय के लिए जेब खर्च होना बताया आरोपी जबाव संतोषप्रद पाये जाने पर आरोपी परिजनो के आने पर मोबाईल व 5500/-रूपये व बिल सुपुर्द किये जायेगे। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना पृथक से दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 10.10 पी. एम पर स्वतत्र गवाहान के समक्ष व परिवादी की मौजूदगी में आरोपीगण के विरूद्ध वक्त रिश्वत राशि बरामदगी व हाथ धुलाई की विडियोग्राफी जरिये श्री योगेश सिह कानि. 88 द्वारा विभागीय विडियो कैमरा द्वारा करवाई गई थी, विडियो कैमरा को लैपटॉप में कनेक्ट किया जाकर विडियोग्राफी का अवलोकन किया गया तो दौराने टे्प कार्यवाही की विडियोग्राफी की रिकॉडिंग विभागीय विडियो कैमरा में तकनीकी खराबी होने के कारण रिकॉर्ड नही हो पाई इस कारण उक्त कार्यवाही की फर्द विडियो ग्राफी मुर्तिब नही की गई। इसके बाद 10.35 पी.एम मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहन मय टेप टीम मय परिवादी मय गिरफ्तारशुदा आरोपीगण मय सील्ड शुदा आर्टिकल्स, टे्प बॉक्स मय जप्त शुदा रिश्वती राशि, जामा तलाशी में मिले मोबाईल फोन व नगदी राशि मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर, विभागीय विडियो कैमरा मय फर्दात एवं पत्रावली आदि के बाद कार्यवाही मौके से सरकारी/ प्राईवेट वाहन से सर्किट हाउस भरतपुर के लिए रवाना हुआ इसके बाद 11.35 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहन मय टे्प टीम मय परिवादी मय गिरफ्तारषुद्वा आरोपीगण मय सील्ड शुदा आर्टिकल्स, टे्प बॉक्स मय जप्त शुदा रिश्वती राशि, जामा तलाशी में मिले मोबाईल फोन व नगदी राशि मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर, विभागीय विडियो कैमरा मय फर्दात एवं पत्रावली आदि के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा सर्किट हाउस भरतपुर पहुंचा, सील्ड शुदा आर्टिकल्स, रिश्वती राशि 80,000/- रूपये, जामा तलाशी मे मिले मोबाईल फोन व नगदी, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर, टे्प बॉक्स, विभागीय विडियों कैमरा आदि को आरक्षित कमरा नम्बर 111 की अलमारी में रात्रि का वक्त हो जाने के कारण सुरक्षित रखा गया। एवं गिरफ्तारशुदा आरोपीगण को जाप्ता की निगरानी सर्किट हाउस के कमरा नम्बर 110 में रखा गया। इसके बाद समय 11.50 पी.एम पर विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर को लैपटॉप में कनेक्ट किया जाकर टेबिल स्पीकर की मदद से विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में वक्त रिश्वत लेन-देन राशि संबंधी रिकार्ड वार्ता जिसकी रिकॉडिंग विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में की गई जिसे विभागीय लैपटॉप के टेबिल स्पीकर से कनेक्ट किया जाकर वक्त रिश्वत लेन-देन संबंधी को परिवादी श्री हरिओम एव स्वतंत्र गवाहान श्री धीरज कनिष्ठ सहायक, श्री सिकन्दर खॉन कनिष्ठ सहायक की उपस्थिति में टेबिल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी से पूछ-पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट वार्ता एवं शुद्ध हिन्दी रूपान्तरण तैयार की गई तथा उक्त वार्ता की मूल मैमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी 32 जीबी व चार डीवीयां क्रमशः- दो मुलजिम प्रति, न्यायालय प्रति एवं एक आईओ प्रति तैयार की जाकर मूल मैमोरी कार्ड व मुलजिम डी.वी.डी, न्यायालय डीवीडी को अलग अलग सफेद कपडे की थैली में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त कर कब्जा एसीबी लिया जाकर मूल मैमोरी कार्ड को मार्क एम-2 व डब डी.वी.डी पर मार्क सी अंकित किया, रिकॉर्ड वार्ता की हैश वैल्यु निकाली जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा आईओ प्रति डी.वी.डी. को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। फर्द पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद दिनांक 20.09.2025 समय 07.30 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी हरिओम मय सरकारी वाहन मय जाप्ता श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 के घटनास्थल का नक्शा मौका मुर्तिब करने हेतु घटनास्थल कार्यालय उप खण्ड अधिकारी डीग रवाना हुआ, गिरफ्तारशुदा आरोपीगण को जामा की निगरानी में मुनासिब हिदायत देकर छोडा। इसके बाद समय 06.40 ए.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने व परिवादी की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्षा मौका एवं हालात मौका तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रनिंग नोट किया गया, बाद फर्द घटनास्थल नक्षा मौका की कार्यवाही कर कार्यालय उप खण्ड अधिकारी जिला डीग से रवाना हुआ। इसके बाद समय 09.30 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के बाद नक्शा मौका की कार्यवाही के कार्यालय उपखण्ड अधिकारी डीग का रवानाशुदा सर्किट हाउस भरतपुर उपस्थित आया। इसके बाद समय 10.30 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह मबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील जिस पर ASP ACB DHOLPUR (47) लिखा हुआ है, को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में पत्थर से तुडवा कर जरिये फर्द नष्ट किया गया फर्द नष्ट नमूना मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय गिरफतार शुदा अभियुक्तगण को कार्यालय स्टाफ की सहायता से आर.बी.एम हॉस्पीटल में भेजकर स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री देवी सिह उप खण्ड अधिकारी कार्यालय उप खण्ड डीग एवं श्री मुकेष कुमार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकरी कार्यालय उप खण्ड अधिकारी डीग से टे्प कार्यवाही से संबंधी पूछताछ कर पूछताछ नोट मुर्तिब कर आरोपी के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली किया। अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से आरोपीगण 1.श्री देवी सिंह उप खण्ड अधिकारी, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जिला डीग एवं 02. श्री मुकेश कुमार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय उपखण्ड (एसडीएम रीडर) जिला डीग द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा अपने पदीय कर्तव्य को करने में भ्रष्ट तरीका अपनाकर श्री हरिओम पुत्र हरवीर

सिंह जाति गुर्जर उम्र 38 साल निवासी ग्राम पान्होरी जिला डीग से उसके द्वारा गांव के ही भागे पत्नि नत्थी, राजन पत्नि खेमचन्द जाटव जरिये स्टाम्प पर उसके मित्र गुलषन पुत्र मोहनलाल कोली निवासी डीग हाल गुलषन गेस्ट हाउस नगर रोड डीग के नाम से खरीदी गई खसरा नम्बर 2262, 2263 वाके ग्राम पान्होरी द्वितीय में स्थित है का परिवादी के पक्ष में रिसिवर आदेश करने के लिय एसडीएम देवी सिंह द्वारा अपने रीडर मुकेश कुमार के मार्फत परिवादी से 1,50,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की। जिसका वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 27.08.2025 को एसडीएम श्री देवी सिंह के रीडर श्री मुकेश कुमार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी द्वारा परिवादी से 1,50,000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परिवादी के निवेदन पर 80,000/- रूपये लेने पर सहमत होना तथा अपनी उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 19.09.2025 को दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री मुकेश कुमार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी द्वारा परिवादी हरिओम को एसडीएम देवीसिंह से मिलने व उनको रिश्वत राशि देने की कहने पर आरोपी मुकेश कुमार रीडर के कहेअनुसार एसडीएम देवी सिंह से मिलना व एसडीएम देवी सिंह द्वारा परिवादी हरिओम को रिश्वत राशि अपने रीडर मुकेश कुमार को देने की कहने पर परिवादी हरिओम का रीडर मुकेश कुमार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से मिलना व मिलने पर श्री मुकेश कुमार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी द्वारा परिवादी हरिओम से सफेद रंग का लिफाफा जिसमें 80,000/- रूपये रिश्वत राशि (50,000/- भारतीय चलन मुद्रा के व 30,000/- रूपये डमी करेन्सी) को बांये हाथ से लेकर दांये हाथ से कार्य करने की टेबिल पर रखते हुये रंगे हाथ पकडा जाना व रिष्वत राषि आरोपी मुकेश कुमार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के कार्य करने वाली टेबिल से तथा परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली न्यायालय कक्ष में से बरामद होना पाया गया है। अतः आरोपीगण 01 श्री देवी सिंह पुत्र छिन्गाराम जाति जाटव, उम्र 51 वर्ष निवासी कस्बा बैर पुलिस थाना बैर जिला भरतपुर हाल कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जिला डीग 02. श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री औंकार सिंह उर्फ श्री ओमकार सिंह जाति जाट उम्र 45 वर्ष निवासी सिनसिनी पुलिस थाना डीग सदर, जिला डीग हाल भूडा गेट, वार्ड नं. 04, डीग जिला डीग हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय उपखण्ड (एसडीएम रीडर) जिला डीग का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018)व 61(2) बीएनएस 2023 में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित की जावेगी। (ज्ञान सिह चौधरी) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर ....कार्यवाही पुलिस.........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट ज्ञान सिह चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण श्री देवीसिंह पुत्र छिंगाराम जाति जाटव उम्र 51 वर्ष निवासी कस्वा वैर पुलिस थाना वैर जिला भरतपुर हाल उपखण्डाधिकारी, उपखण्ड कार्यालय डीग जिला डीग 2. श्री मुकेश कुमार पुत्र स्व. श्री औंकार सिंह उर्फ श्री ओमकार सिंह जाति जाट उम्र 45 बर्ष निवासी सिनसिनी पुलिस थाना डीग सदर जिला डीग हाल भूडा गेट, वार्ड नं. 04, डीग जिला डीग हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय उपखण्ड (एसडीएम रीडर) जिला डीग के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अमित कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 410 पर अंकित है। (महावीर सिंह राणावत) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1410-14 दिनांक 23.09.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर, 2. शासन सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) राजस्थान, जयपुर, 3. जिला कलेक्टर, डीग, 4. उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर, पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** AMIT SINGH **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Singh Ranawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 2[illegible]/2025

Name(नाम): MAHAVEER SINGH

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1974				
2	Male	1980				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)